न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामरतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या 173/18 **निर्णय दिनांकः 09–12–2019**
(आरसीएमएस संख्या 2018/00254)

1. राजाराम पुत्र रेड़राम जाति बिश्नोई निवासी बनिया तहसील नोखा जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 23–03–2002
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री सीताराम बिश्नोई, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉं, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 23–03–2002 जिसके द्वारा अपीलांट् को पूर्व में अन्य को आवंटित भूमि का आवंटन किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विकय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट् को तत्कालीन सक्षम अधिकारी द्वारा भूमिहीन के तौर पर पात्र मानते हुए चक 23 डीओडीडी (आर) के मुरब्बा नम्बर 59/46 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी कुल 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि आवंटन की गई तथा वादगत् भूमि का पट्टा जारी कर दिया गया। उक्त भूमि पूर्व से ही वन विभाग को आरक्षित होने के कारण उक्त भूमि का कब्जा अपीलांट को प्राप्त नहीं हो सका। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा आवंटन की तमाम कार्यवाही पूर्ण कर ली गई। जबकि अपीलांट् को दोहरे आवंटन में आवंटित भूमि अन्य को ही आवंटित होने के कारण अपीलांट् को उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

नहीं हो सका। इसमें अपीलांटस का कोई दोष नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है।

राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व से ही आवंटनशुदा भूमि है इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है। अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन को निरस्त करते हुए अन्य भूमि आवंटित की जानी चाहिए थी लेकिन अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन न तो निरस्त किया न ही उसकी एवज में अन्यत्र भूमि के आदेश पारित नहीं किये है। जबकि अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 23–03–2002 के विरूद्व अपील दिनांक 06–03–18 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व में ही अन्य को आवंटित भूमि है। अतः उक्त आराजी अपीलांट को नहीं मिल सकती। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 23–03–2002 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 06–03–2018 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

7. (1) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा सामान्य/भूमिहीन के तौर पर आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर सलाहकार समिति की राय से उपनिवेशन तहसील पूगल के 23 डीओडीडी (आर) के मुरब्बा नम्बर 59/46 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि आवंटित की गई तथा आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया।

(2) प्रकरण में अपीलांट को आवंटित रकबा पूर्व से वन विभाग हेतु आरक्षित होने के कारण अपीलांट् को उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हो सका। ऐसी स्थिति में उक्त रकबा अपीलांट को प्राप्त नहीं हो सकता। जबकि अदालत मातहत को उक्त आवंटन से पूर्व यह देखा जाना चाहिए था कि उक्त आराजी पूर्व में अन्य को आवंटितशुदा भूमि है अथवा नहीं? अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य की जॉच किये बिना ही आराजी जैर का आवंटन अन्य को आवंटित कर दी गई।

(3) जहॉ तक अपीलांट को आराजी जैर के आवंटन का संबंध है, अपीलांट को आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति व अध्यक्ष आवंटन समिति की राय से बाद जॉच ही आवंटन किया गया था। अदालत मातहत द्वारा आवंटन से पूर्व इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया ना ही जॉच नहीं की गई, कि आवंटन दिनांक को उक्त आराजी जैर शुद्व रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध थी अथवा नहीं? अदालत माताहत का उक्त कृत्य धोर लापरवाही का द्योतक है। अदालत मातहत द्वारा की गई चूक अथवा लापरवाही का खामियाजा अपीलांट को नहीं मिल सकता।

(4) प्रकरण में अपीलांट को आवंटित भूमि को आज दिनांक तक खारिज नहीं किया गया है। प्रकरण में आवंटन अधिकारी की चूक या कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा आवंटी को नहीं दिया जा सकता। अदालत मातहत को आवंटन से पूर्व इस तथ्य की जॉच की जानी चाहिए थी कि क्या आराजी जैर आवंटन दिनांक को अपीलांट की पात्रता अनुसार शुद्व रूप से भूमिहीन श्रेणी में आवंटन हेतु उपलब्ध थी अथवा नहीं? अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य की जॉच किये बिना अपीलांट को पूर्व में ही वन विभाग हेतु आरक्षित भूमि का आवंटन किया गया है। जो स्पष्ट रूप से अयुक्तियुक्त आवंटन है।

(5) यहॉ यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष आवंटन पश्चात् रिकार्ड में अमलदरामद हेतु बार–बार

सम्पर्क किया जाता रहा है। अदालत मातहत की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा अपीलांट की पत्रावली पर कोई कार्यवाही आज दिनांक तक नहीं की गई है। अपीलांट अन्तहीन समय तक अपने आवंटन के अमल दरामद हेतु इंतजार नहीं कर सकता। अदालत मातहत द्वारा ना तो अपीलांट का आवंटन खारिज किया गया ना ही अपीलांट के आवंटन का अमल दरामद किया गया। अततः अपीलांट को न्यायालय की शरण के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचता।

(6) अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन आज दिनांक तक निरस्त नहीं किया गया है। अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है।

(7) चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को ऐसी भूमि का आवंटन किया गया है जोकि अपीलांट के आवंटन से पूर्व ही वन विभाग हेतु आरक्षित भूमि थी। उक्त तथ्य भूमिहीन आवंटन की रिपोर्ट से स्पष्ट रूप से प्रदर्शित है कि वादगत् भूमि पर मौके पर पेड़ पौधे है खाली नहीं है। लिहाजा उक्त भूमि अपीलांट को प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में अपीलांट भूमिहीन श्रेणी की विवादरहित् भूमि अन्यत्र प्राप्त करने का अधिकारी है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 23–03–2002 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट्स को नियमानुसार उसकी पात्रता की जॉच करते हुए भूमिहीन श्रेणी की विवादरहित भूमि उपलब्ध होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 09–12–2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामरतन सोंकरिया)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2019.12.27 15:24:21 IST
Reason: SelfAttested
Location: